न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, (म0प्र0)

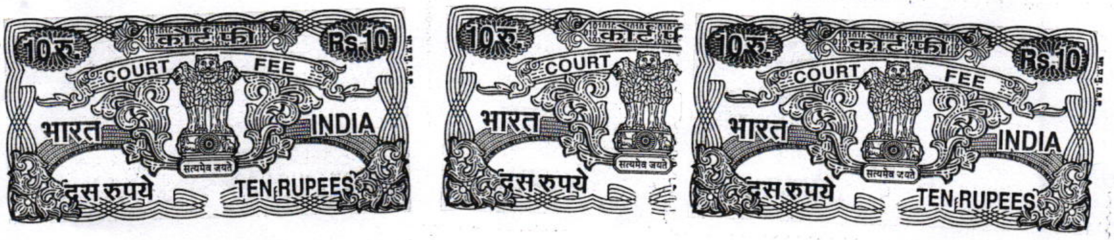

अजय कुमार द्विवेदी तनय विद्या प्रसाद द्विवेदी, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम दुआरी, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)   निग -234-II/16

————निगरानीकर्ता

बनाम्

1— रमाकान्त पाण्डेय तनय रामनाथ पाण्डेय, उम्र 45 वर्ष, निवासी पड़रा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

2— नागेन्द्र प्रताप सिंह तनय श्री संपत सिंह, उम्र 52 वर्ष, निवासी दीनदयालधाम कॉलोनी पड़रा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

————गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 21/01/2016 बावत् प्रकरण क्रमांक 437 अपील / 2015-16 अंतर्गत धारा 50 (1) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

22-1-16

22/1/16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 234–दो/16 **जिला** –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभ आदि के हस्ताक्षर
22.01.16	आवेदक की ओर से श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित उन्हें स्थगन के बिन्दु एवं कायमी पर सुना गया। 2– आवेदक अभिभाषक द्वारा बताया गया है कि अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में आवेदक द्वारा अपील पेश की है जिसमें ग्राह्यता एवं स्थगन पर तर्क किये गये थे, किन्तु अपर आयुक्त द्वारा अपील ग्राह्य की है तथा स्थगन आवेदन अमान्य किया है, जबकि अपील प्रकरण प्रथम दृष्ट्या ग्राह्य किये जाने की दशा में स्थगन दिया जाना चाहिये। 3– प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा आवेदक अभिभाषक के तर्को पर विचार किया । अपर आयुक्त न्यायालय में विचाराधीन अपील को अपर आयुक्त रीवा द्वारा स्थगन आवेदन में निरस्ती बावत आदेश दिनांक 21.1.2016 को आगामी तीन माह तक स्थगित करते हुये प्रकरण में विवादित भूमि के बावत राजस्व अभिलेख एवं मौके से यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिये जाते हैं इसी निर्देश के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । सदस्य	